न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठसीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024 / 314

भंवरलाल आत्मज परसराम जाति कहार निवासी वार्ड नं0 10 केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा

– अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस– 1. श्री बृजराज सिंह चौहान, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय **दिनांक 21.04.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(मुख्यालय) कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 26 / 2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा में वादी के पिता परसराम जी खरीद शुदा व कब्जे शुदा आराजी खसरा नम्बर 2132 रकबा 0.28 हेक्टर भूमि स्थित है जिस पर वादी के पिता अपने जीवनकाल में बतौर मालिक व स्वामी काबिज रहे और उनके स्वर्गवास के उपरान्त से वादी उनके उत्तराधिकारी की हैसियत से बतौर मालिक व स्वामी काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी कोटडी ठिकाना कविराजा महिपत सिंह जी की खातेदारी की थी, जिन्होने वादी के पिता का पुराना कब्जा होने के आधार पर 49/– रूपये प्रति बीघा के हिसाब से अन्य सभी काश्तकारों, जो पूर्व से काबिज चले आ रहे थे, उनके साथ ही दिनांक 17–4–1961 को विक्रय कर दी थी और उक्त खरीद की तारीख से ही वादी के पिता व अन्य सभी कब्जेधारी काश्तकार बत्तोर मालिक व स्वामी काबिज चले आ रहे थे और वादी के पिता के स्वर्गवास के उपरान्त वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा वादी ने उक्त भूमि में चार पक्के कमरे व चार कच्चे कमरे बना रखे है। बोरिंग करवा रखा हे बिजली का कनेक्शन लेकर सिंचाई करता चला आ रहा है। वादी व उसका परिवार वहां निवास करता है तथा अपनी फसल को व कृषि यन्त्रों को रखता चला आ रहा है। उक्त खरीद की राशि सभी काश्तकारों द्वारा एकजाही

रूप से लिस्ट बना कर दिनांक 29–6–1961 को ठिकाना कोटडी में जमा करा दी थी, जिसकी रसीद भी ठिकाना कोटडी के द्वारा जारी की गयी थी। इसलिये उक्त खरीदार निरन्तर चले आ रहे कब्जे व खरीद के आधार पर उक्त भूमि को इन्द्राज दुरूस्ती करवा कर अपने अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी है और चूकि वादी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है, अतः उनके उत्तराधिकारी की हैसियत से वादी उक्त भूमि को इन्द्राज दुरूस्ती करवा कर अपने खातेदारी में दर्ज कराने व उक्त भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। वादी के पिता श्री परसराम जी का उक्त आराजी पर सम्वत् 2012 के पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा था और इसी आधार पर ठिकाना कोटडी द्वारा उक्त आराजी वादी के पिता को पुराने कब्जे के आधार पर विक्रय की गयी थी यानि कि उक्त आराजी पर सम्वत् 2012 से पूर्व का कब्जा होने व खरीद के आधार पर उक्त आराजी का वादी खातेदार घोषित होकर उसे अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त आराजी ठिकाना कोटडी के जागीरदार कविराजा महिपत सिंह जी के खाते से हटा कर वादी के खाते में दर्ज करना चाहिये था, किन्तु सेटलमेन्ट विभाग ने गलत रूप से उक्त आराजी को दौराने सेटलमेन्ट सिवाय चक दर्ज कर दिया, जिसका कि उन्हे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था, और सेटलमेन्ट द्वारा उक्त कृत्य अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर किया गया है, जो कानूनन शुरू से ही प्रभावशून्य होने से वादी इन्द्राज दुरूस्ती करवा कर उक्त आराजी खसरा नम्बर 2132 की 0.28 हेक्टर भूमि सिवाय चक से हटा कर खातेदार घोषित होकर अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। सेटलमेन्ट द्वारा किये गये गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर वादी ने कई बार राजस्व अधिकारियों को इन्द्राज दुरूस्त कर आराजी वादी के खाते दर्ज करने हेतु निवेदन किये गये किन्तु इन्द्राज दुरूस्त नहीं किया गया और दिनांक 29–3–2022 को तहसीलदार साहब लाडपुरा ने इन्द्राज दुरूस्ती करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया ओर शीघ्र ही उक्त आराजी को फसल काश्त हेतु नीलामी बोली लगा कर दिये जाने की धमकी दी और वादी की कोई भी बात मानने से स्पष्ट इन्कार कर दिया अतः वादी का यह वाद प्रश करना आवश्यक हो गया हे। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा किये गये गलत इन्द्राज के आधार पर वर्तमान में राजस्व अधिकारी भूमि को काश्त हेतु नीलामी बोली द्वारा देने पर उतारू है जिसका कि उन्हे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हे ओर जिन्हे वादी माननीय न्यायालय की सहायता से स्थायी निषेधज्ञा द्वारा रूकवाने का भी अधिकारी है। प्रस्तुत वाद का वाद कारण दौराने सेटलमेन्ट वादी के पिता की खरीद शुदा व निरन्तर कब्जे शुदा भूमि को गलत तोर पर सिवाय चक दर्ज करने पर ओर तदुपरान्त वादी के निवेदन के बावजूद भी इन्द्राज दुरूस्ती नहीं करने ओर दिनांक 29–3–2022 को तहसीलदार साहब लाडपुरा द्वारा इन्द्राज दूरुस्ती करने से स्पष्ट इन्कार करते हुये भूमि को नीलामी बोली द्वारा काश्त हेतु देने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के न्याय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि–(1) वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित वादी कर पिता की खरीद शुदा व मालिकाना कब्जे शुदा आराजी ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 2132 की 0.28 हेक्टर भूमि का वादी को खातेदार

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

घोषित करते हये उक्त आराजी सिवायचक खाते से हटा कर वादी के खाते दर्ज किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे। (2). प्रतिवादी को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे। (3)स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि राजस्व रिकार्ड में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा किये गये गलत इन्द्राज के आधार पर वादी के मालिकाना कब्जे शुदा आराजी वाके ग्राम केथून तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 2132 की 0.28 हेक्टर भूमि को प्रतिवादी फसल काश्त हेतु न तो कोई नीलामी बोली पुकरवाये ओर न ही उक्त आराजी से वादी को फसल काश्त करने से रोके ओर न ही उसके कब्जे काश्त में कोई मजाहमत व मदाखलत प्रदान करे ओर न ही उक्त आराजी अथवा उसके किसी भाग को वादी के अलावा अन्य किसी को काश्त हेतु देवे ओर न अवैध व गैर कानूनी तरीके से उक्त आराजी को वादी के अलावा अन्य को आवंटन अथवा नियमन करने का प्रयास करे। वादी को उक्त भूमि व मकानात आदि से बेदखल नहीं करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे ओर न अपने प्रतिनिधि से करावे। (4) वादी को प्रतिवादीगण से मुकदमें का खर्चा दिलाया जावे। (5) अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.10.2024 वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज की जाने की निर्णय व डिकी पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 28.10.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 28.10.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 28.10.2024 निरस्त फरमाया जावें ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 आर० टी० एक्ट बाबत खातेदारी घोषणा को सरसरी तौर पर खारिज फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा में

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

खसरा नम्बर 2132 रकबा 0.28 हेक्टर भूमि वादी अपीलान्ट के पिता की खरीद शुदा भुमि है। जिस पर अपीलान्ट वादी के पिता का व उनकी मृत्यु के बाद वादी 62 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गोर किये बिना ही वादी अपीलान्ट का दावा खारिज कर निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि उक्त भूमि को अपीलान्ट के पिता द्वारा 49/- रूपये प्रति बीघा में कोटडी ठिकाना कविराजा महिपत सिह जी की खातेदारी से दिनाक 17-4-1961 को खरीद की थी। तब से वादी अपीलान्ट के पिता बतोर मालिक काबिज चले आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु, के पश्चात् अपीलान्ट काबिज काश्त चला आ रहा है। इस बिन्दु पर ध्यान दिये बिना ही सरसरी तोर पर वादी का वाद खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि टिकाना कोटडी के जागीरदार कविराजा महिपतसिंह जी ने सभी अन्य व्यक्तियों को बेचान की गयी भूमि की लिस्ट 29-6-1961 को ठिकाना कोटडी में जमा करादी थी तत्पश्चात् सेटलमेन्ट हो गया और सेटलमेन्ट के दोरान गलत रूप से सिवायचक दर्ज करदी गयी जब कि अपीलान्ट ने उक्त भूमि में चार पक्के कमरे चार कच्चे कमरे बना रखे है बोरिंग करवा रखा व बिजली का कनेक्शन लेकर सिंचाई करता चला आ रहा है तथा अपीलान्ट व उसका परिवार वहीं पर निवास करता है तथा अपनी फसल को व कृषि यन्त्रों का रखता चला आ रहा है। इस आधार पर वादी अपीलान्ट उक्त भूमि का खरीददार व खातेदार हो गया है तथा उक्त भूमि अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है इसके बावजूद भी वाद डिक्री न कर खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस् तथ्य पर ध्यान नही दिया कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी राज० सरकार को सुचना दी गयी किन्तु सरकार की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ओर न जवाब पेश किया गया ओर न किसी प्रकार की आपत्ति पेश की। तथा सरकार के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये इसके बावजूद भी यह कह कर कि वादी अपीलान्ट ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है जबकि प्रस्तुत वादी के बयान व गवाहान के बयानों से वादी का वाद प्रमाणित कर दिया था। इस आधार पर वादी अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया। जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। तथा निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को मोके के कब्जे की रिपार्ट मंगवाये बिना, वादी अपीलान्ट के कथन पर विश्वास किये बिना ही तथा अपीलान्ट को सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमी मान कर सरसरी तोर पर दावा वादी खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि भूमि राजकीय सिवाय चक दर्ज रिकार्ड है तथा 62 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को विवादित भूमि पर खातेदारी देने का अथवा भूमि को आवंटन अथवा नियमन करने का निर्देश देना चाहिये था किन्तु ऐसा न कर वादी अपीलान्ट का दावा खारिज करने में त्रुटि की है इस कारण पारित निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि पर वादी अपीलान्ट का 60 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त भूमि से परिवार का लालन पालन हो रहा है। यदि वादी अपीलान्ट को बैदखल कर

अपील प्राधिकारी राजस्व

दिया व भूमि का वादी को खातेदार घोषित नहीं किया गया अथवा आवंटन/नियमन कर खाते दर्ज नहीं की गयी तो अपीलान्ट व उसका परिवार भूखों मर जावेगा। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को दावा डिक्री कर प्रतिवादी रेस्पो० को निर्देशित कर विवादित भूमि को वादी अपीलान्ट को आवंटन/नियमन करने का आदेश पारित करना चाहिये था। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कोई हक अधिकार निहित नहीं है। अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त भी नहीं है। अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी पर स्वयं के कब्जे काश्त के सम्बंध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है! कैवल मौखिक कथनों के आधार पर अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त होना स्वीकार नहीं किया जा सकता। वादग्रस्त भूमि अपीलांट के खातेदारी की भूमि नहीं है तथा ना ही वादग्रस्त भूमि पूर्व में कभी अपीलांट के खाते दर्ज रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम की गई है। अपीलांट की साक्ष्य ली गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2024 पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2024 में किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। वादी अपीलांट ने अपने वादपत्र को प्रमाणित नहीं करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादी अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी ग्राम कैथून की खसरा नम्बर 2132 रकबा 0.28 हैक्टेयर के सम्बंध में खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है। वादी अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि पर स्वयं के कब्जे काश्त होने के सम्बंध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा की खाता संख्या 1 की खसरा नम्बर 2132 रकबा 0.56 हैक्टेयर भूमि सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। अतः प्रश्नगत खसरा नम्बर 2132 की भूमि सरकारी भूमि है। वादी अपीलांट द्वारा दिनांक 17.04.1961 में प्रश्नगत खसरा नम्बर 2132 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि खरीद किए जाने का कथन किया

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

गया है परन्तु अपीलांट द्वारा इसके समर्थन में कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादपत्र की चरण संख्या 4 में वादी अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का सन् 2012 से पूर्व का कब्जा होने के आधार पर वादग्रस्त आराजी स्वयं के खातेदारी में दर्ज किए जाने का अधिकारी माना है। प्रश्नगत भूमि सरकारी सिवायचक भूमि है तथा वादी अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर वैध रूप से काबिज काश्त होना प्रमाणित होता हो। चूंकि अपीलांट वादग्रस्त भूमि पर स्वयं को विधिक रूप से काबिज काश्त होना प्रमाणित करने में असफल रहा है अतः हमारे मत में वादग्रस्त भूमि पर वादी अपीलांट का कब्जा अतिकमण की श्रेणी का माना जावेगा। निरन्तर के सम्बंध माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक दृष्टांत 2015 डी.एन.जे. 2015 पेज 224 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2018(3)डब्ल्यु.एल.एन पेज 114 प्रतिपादित किए गए है जिनके अनुसार निरन्तर के आधार पर वाद पोषणीय नहीं होना माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक 28.10.2024 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना कानूनी रूप से पोषणीय नहीं होना माना है जिससे हम सहमत है। वादी को अपना वाद ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर साबित करना कानूनन आवश्यक है। हमारे मत में केवल मौखिक कथनों के आधार पर वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। वादी अपीलांट प्रश्नगत अपील एवं वाद में अंकित कथनों को दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिकी दिनांक 28.10.2024 में वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद को बार्ड बाई लॉ होना मानकर खारिज किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 28.10.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(मुख्यालय) कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 26/2022 में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 28.10.2024 यथावत रखी जाती है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 21.04.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

21/4/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या– 2024/314

भंवरलाल आत्मज परसराम जाति कहार निवासी वार्ड नं0 10 केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा

– अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्ट

वादपत्र संख्याः 26/2022

भंवरलाल आत्मज परसराम जाति कहार निवासी वार्ड नं0 10 केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

–प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 26/2022 में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2024 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 21.04.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री बृजराज सिंह चौहान तथा रेस्पोडेन्ट की ओर से विद्वान पैरोकार सरकार के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.10.2024 यथावत रखी जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 21.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
कोटा